

प्राथम्य

पञ्जावली चैत्र दुई वादीगण संख्या २३ लगात २५ को वार वार रकम-रकम हर भावान लगावई गई, परन्तु शनि मौर से कोई भी अपाधिक न्यायालय नही माने से हुन्के टदतक बाद वादी मदम हाजती एवं मदम चैरमी मे खोजि किया जाता है। वादीगण संख्या १, २, ३, ४ एवं उरिवादीगण संख्या १, २, ५, ६, ७, ८, ९, १० एवं उरिवादी नं ३ से मौर से राजीनामा होने पर राजीनामा तस्दीह हो चुका है। ऐसी दिशरि मे पञ्जावली मे अन्य कोई कार्यवाही होना सम्भवे नही है। मतः प्रकरण इही स्वर पर खोजि किया जाता है। पञ्जावली केसल सुमाट होकर दर्ज नम्बर से उम हो तथा बाद तस्दीह जाना दाखिल दादर है। निर्णय आज सुले न्यायालय मे सुनाया गया।

डॉ. सी. ए. (क. दे.)
 न्यायाधीश

